

करेंट अफेयर्स हारियाणा (संग्रह)



जुलाई
2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा	3
☞ अरावली वनों में कचरा डंपिंग	3
☞ 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान हरियाणा में हुआ और सशक्त	4
☞ हरियाणा में मादक पदार्थ की ज़बती में वृद्धि	6
☞ हरियाणा ने मजदूरी और कार्य स्थितियों में संशोधन किया	8
☞ गंगा यमुना लिंक (GYL) नहर	9
☞ नई अवकाश नीति: महिला कर्मचारियों के लिये कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देना	12
☞ आपराधिक न्याय सुधार में मानक स्थापित	13
☞ डंकी रूट और मनी लॉन्ड्रिंग	14
☞ झज्जर में भूकंप	16
☞ नूह में इंटरनेट और SMS सेवाएँ निःशुल्क	17
☞ अशीम कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त	18
☞ स्वामी कल्याणदेव महाराज की 21वीं पुण्यतिथि	20
☞ हरियाणा में 2,000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल	21
☞ साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में भारत परिसर खोला	22
☞ पोषण एप में तकनीकी समस्या से पंजीकरण बाधित	24
☞ हरियाणा की पहली जलवायु परिवर्तन अध्ययन प्रयोगशाला	25
☞ बहुविवाह और हरियाणा परिवार पहचान-पत्र	26

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

हरियाणा

अरावली वनों में कचरा डंपिंग

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा वन विभाग ने नूंह के अरावली वन क्षेत्र में निर्माण मलबा तथा औद्योगिक कचरा अवैध रूप से फेंकने के लिये तीन फर्मों पर जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

- इस संबंध में **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की धारा 223(B) और धारा 324(3) के साथ-साथ **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** के प्रावधानों के तहत विधिक कार्रवाई आरंभ की गई है।

मुख्य बिंदु

अरावली के बारे में:

- अरावली विश्व का सबसे प्राचीन **वलित पर्वत** है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, इसकी आयु लगभग **तीन अरब वर्ष** आंकी गई है।
- यह पर्वतमाला **गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है** (राजस्थान और हरियाणा होते हुए)।
- इसकी सबसे ऊँची चोटी **माउंट आबू** पर स्थित **गुरु शिखर** है।

जलवायु पर प्रभाव:

- अरावली पर्वतमाला उत्तर-पश्चिम भारत और उससे आगे के क्षेत्रों की जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।
- मानसून के दौरान, पर्वत श्रृंखला मानसून के बादलों को धीरे-धीरे शिमला और नैनीताल की दिशा में अग्रसर करती है, जिससे **उप-हिमालयी नदियों को पोषण** मिलता है तथा **उत्तर भारतीय मैदानों की सिंचाई संभव** होती है।
- सर्दियों के महीनों में यह उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों (सिंधु और गंगा) को मध्य एशिया से ठंडी पश्चिमी हवाओं के हमले से बचाती है।

अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिक भूमिका:

- अरावली पर्वतमाला **थार मरुस्थल** के पूर्व की ओर विस्तार को रोककर **मरुस्थलीकरण** के विरुद्ध एक प्राकृतिक ढाल का कार्य करती है।
- यह दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों को मरुस्थली अतिक्रमण तथा बढ़ती शुष्कता से संरक्षित रखती है।

नदियाँ:

- यह श्रृंखला **चंबल, साबरमती और लूनी** सहित कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है।
- ये नदियाँ उत्तर-पश्चिमी भारत में कृषि, पेयजल तथा क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिये महत्वपूर्ण हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ जैव विविधता हॉटस्पॉट:

- अरावली के **वन, घास के मैदान** तथा **आर्द्रभूमि** कई लुप्तप्राय पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिये आश्रय स्थल हैं, जिससे यह एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी आवास बन गया है।

❖ अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के लिये खतरे:

- **अवैध खनन**, अत्यधिक चारण और मानव अधिवास पूरे क्षेत्र में भूमि क्षरण को तेज कर रही हैं।
- ये गतिविधियाँ भूमिगत जलभृतों को क्षति पहुँचा रही हैं, झीलों को शुष्क बना रही हैं तथा वन्यजीवों और जैवविविधता को सहारा देने की पर्वत शृंखला की क्षमता को कमजोर कर रही हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय** ने वर्ष 2009 में हरियाणा के फरीदाबाद, गुणगाँव (अब गुरुग्राम) और नूँह जिलों की अरावली रेंज में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।

‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान हरियाणा में हुआ और सशक्त

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार ने **लिंगानुपात** में सुधार के लिये ‘**बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ**’ अभियान तीव्र कर दिया है।

- ❖ आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, चल रहे प्रयासों के कारण, हरियाणा का लिंगानुपात 2024 की इसी अवधि के दौरान 904 से बढ़कर 906 (1 जनवरी से 30 जून, 2025 तक) हो गया है।

मुख्य बिंदु

❖ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान (BBBP):

- BBBP एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे गिरते **बाल लिंग अनुपात (Child Sex Ratio- CSR)** का समाधान करने, लिंग-पक्षपाती **लिंग-चयनात्मक उन्मूलन** को रोकने और बालिकाओं की जीवन रक्षा, सुरक्षा तथा शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये शुरू किया गया है।

❖ मुख्य उद्देश्य:

- **जन्म के समय लिंग अनुपात (SRB)** में प्रतिवर्ष दो अंकों का सुधार करना।
- 95% या उससे अधिक की सतत् **संस्थागत प्रसव दर** प्राप्त करना।
- प्रथम तिमाही में **प्रसवपूर्व देखभाल** (antenatal care) पंजीकरण और माध्यमिक शिक्षा नामांकन के प्रतिशत में प्रतिवर्ष 1% की वृद्धि करना।
- माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना।
- सुरक्षित **मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM)** के संबंध में जागरूकता बढ़ाना।

❖ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयास:

- BBBP के तहत लिंग-चयनात्मक गर्भपात के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें शामिल डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



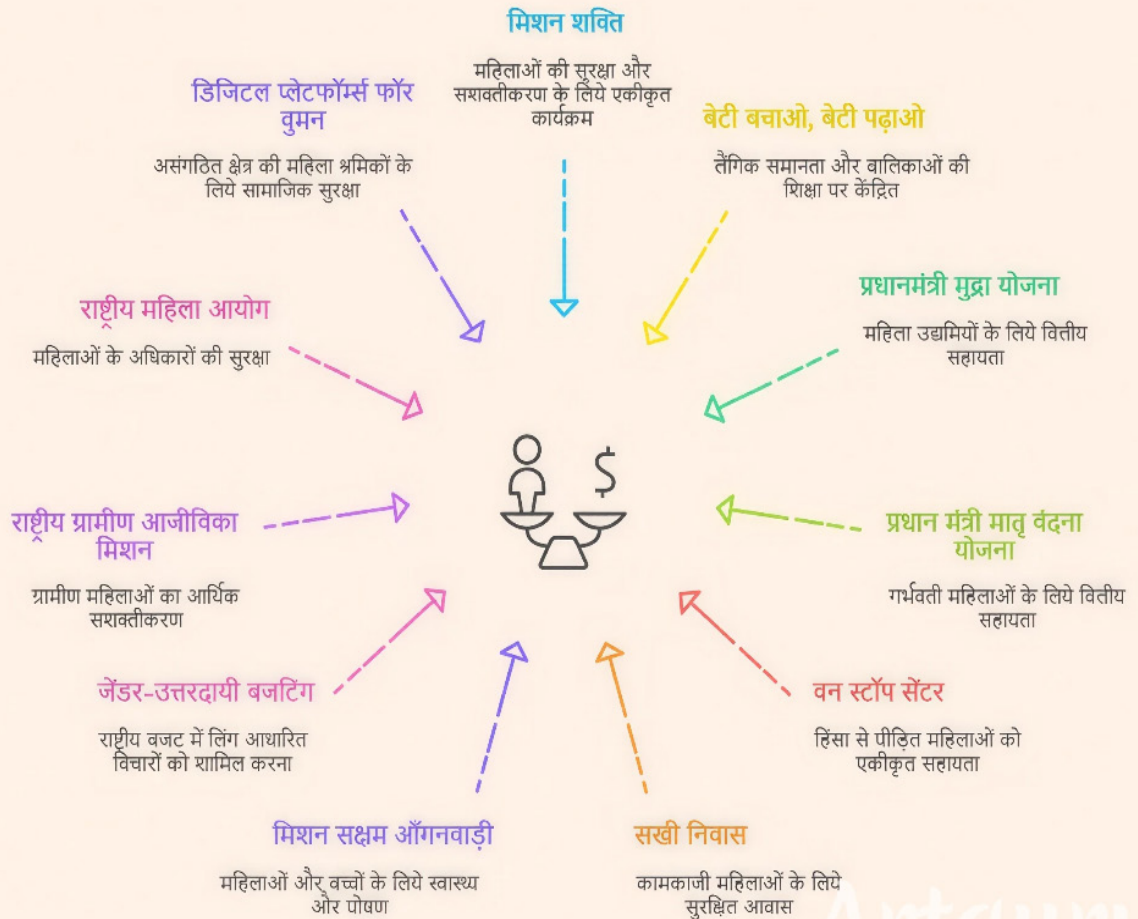
दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण शिविर आयोजित किये जाएँगे और सभी अपंजीकृत बच्चों को इस प्रणाली में लाने के लिये जागरूकता अभियान शुरू किये जाएँगे।
- लिंग निर्धारण में संलिप्त संदिग्ध **इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF)** केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।

भारत में लैंगिक समानता हेतु पहले



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

हरियाणा में मादक पदार्थ की ज़ब्ती में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा में वर्ष 2025 की पहली छमाही में मादक पदार्थों, विशेषकर हेरोइन और कोकीन की ज़ब्ती में तीव्र वृद्धि देखी गई है।

- ❖ **हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB)** के अनुसार, राज्य में हेरोइन की ज़ब्ती दोगुनी से अधिक हो गई है, जबकि वर्ष 2024 में इसी अवधि की तुलना में बरामद कोकीन की मात्रा में 14 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (NDPS) मामलों में वृद्धि:**
 - ⦿ **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985** के तहत नशीली दवाओं से संबंधित FIR में 28.75% की वृद्धि हुई, जनवरी से जून 2025 तक 1,858 मामले दर्ज किये गए, जबकि हरियाणा में 2024 में 1,657 मामले दर्ज किये जाएँगे।
 - ⦿ वाणिज्यिक मात्रा के मामलों में लगभग 29% की वृद्धि हुई है, जो 2024 में 166 से बढ़कर 2025 में 233 हो गए हैं, जिनमें अक्सर संगठित तस्करी समूह शामिल होते हैं।
- ❖ **भारत में नशीली दवाओं का प्रचलन (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) डेटा):**
 - ⦿ **भांग:** 3.1 करोड़ लोग (2.8%) भांग उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 72 लाख (0.66%) भांग (Cannabis) से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
 - ⦿ **ओपिओइड का उपयोग:** 2.06% जनसंख्या ओपिओइड का उपयोग करती है और लगभग 0.55% (60 लाख) को ओपिओइड निर्भरता के लिये उपचार सेवाओं की आवश्यकता है।
 - ⦿ **शामक:** 1.18 करोड़ (1.08%) व्यक्ति गैर-चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये शामक का उपयोग करते हैं।
 - ⦿ **इनहेलेंट:** इनहेलेंट का दुरुपयोग 1.7% बच्चों और किशोरों को प्रभावित करता है, जो वयस्कों में 0.58% की व्यापकता से काफी अधिक है। लगभग 18 लाख बच्चों को इनहेलेंट के दुरुपयोग से निपटने के लिये सहायता की आवश्यकता है।
 - ⦿ **इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाओं का प्रयोग:** लगभग 8.5 लाख लोग नशीली दवाओं का इंजेक्शन द्वारा प्रयोग करते हैं, जिन्हें पीपुल हू इंजेक्ट ड्रग्स (PWID) के नाम से जाना जाता है।
- ❖ **संबंधित उपाय:**
 - ⦿ **विधायी:**
 - ⦿ **स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985:** यह स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन, निर्माण तथा तस्करी को नियंत्रित करता है।
 - ⦿ **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार की रोकथाम (PITNDPS) अधिनियम, 1988** मादक पदार्थों की तस्करी तथा दुरुपयोग को नियंत्रित करने एवं रोकने के लिये विधि संरचना को नियंत्रित करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

संस्थागत उपाय:

- **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA):** यह भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है।
 - ❖ यह अंतर-राज्यीय और अंतराष्ट्रीय संबंधों वाले मामलों की जाँच करता है, जिसमें आतंकवाद से जुड़े नशीली दवाओं की तस्करी नेटवर्क, हथियारों की तस्करी तथा सीमा पार से घुसपैठ शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB):**
 - ❖ NCB भारत की एक नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। यह राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करता है तथा **सार्क ड्रग अपराध निगरानी डेस्क (SDOMD)** जैसी पहलों में भाग लेता है।
- **अन्य प्रवर्तन एजेंसियाँ:** राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), सीमा शुल्क विभाग और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ नशीली दवाओं की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिये मिलकर कार्य करती हैं।

विभिन्न औषधि प्रकार और पदार्थ

दवा का प्रकार	विशेषताएँ
उत्तेजक	❖ उत्तेजक पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं, सतर्कता और शारीरिक गतिविधि बढ़ाते हैं। वे मूड स्विंग, अनिद्रा, अनियमित दिल की धड़कन तथा चिंता का कारण बन सकते हैं। ❖ उदाहरण: कोकीन, क्रैक, एम्फेटामाइनस तथा एमाइल या ब्यूटाइल नाइट्राइट्स जैसे इनहेलेंट्स
अवसाद	❖ शराब, बार्बिटुरेट्स और ट्रैक्विलाइजर जैसे अवसादक पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को धीमा कर देते हैं, जिससे आराम मिलता है। ❖ शराब के दुरुपयोग से बोलने में कठिनाई, याददाश्त में कमी तथा गंभीर मामलों में बेहोशी या मृत्यु हो सकती है। ❖ उदाहरण: बार्बिटुरेट्स और ट्रैक्विलाइजर
हैलुसिनोजन	❖ मतिभ्रम उत्पन्न करने वाली दवाएँ धारणा को बदल देती हैं, जिससे भावनात्मक उतार-चढ़ाव, व्यामोह, भ्रम और उलझन उत्पन्न होती है। हालाँकि ये शारीरिक रूप से नशे की लत नहीं हैं, लेकिन ये स्थायी मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुँचा सकती हैं। ❖ उदाहरण: LSD, एक्स्टसी, साइलोसाइबिन (magic mushrooms)
विघटनकारी औषधियाँ	❖ विघटनकारी औषधियाँ शरीर और पर्यावरण से अलगाव उत्पन्न करती हैं, मोटर कार्यों को बाधित करती हैं तथा भ्रम उत्पन्न करती हैं। ❖ उदाहरण: केटामाइन, DXM (डेक्सट्रोमेथॉर्फन)
नशीले पदार्थ	❖ ये अत्यधिक नशे की लत वाले होते हैं और दर्द से राहत तथा उत्साह प्रदान करते हैं। ❖ उदाहरण: हेरोइन, अफीम, औषधीय दर्द निवारक (जैसे, कोडीन, मॉर्फिन)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

इनहेलेंट	- इनहेलेंट के कारण सिरदर्द, मतली, समन्वय की हानि तथा गंभीर मामलों में दम घुटने या मृत्यु हो सकती है। - उदाहरण: गैसोलीन, पेंट थिनर, एमाइल नाइट्राइट
कैनाबिस/भाग	- कैनाबिस सैटिवा पौधे से प्राप्त कैनाबिस का उपयोग आमतौर पर मारिजुआना, हशीश और हैश ऑयल जैसे रूपों में किया जाता है। - इसके दुरुपयोग से स्मृति, एकाग्रता प्रभावित होती है तथा भ्रम, लत और दीर्घकालिक संज्ञानात्मक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। - उदाहरण: मारिजुआना, हशीश, हैश ऑयल

हरियाणा ने मज़दूरी और कार्य स्थितियों में संशोधन किया

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार ने अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये वेतन संरचना में संशोधन की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा, साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिये अवकाश पात्रता तथा अनुबंध विस्तार को भी अद्यतन किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

संशोधित वेतन संरचना:

दो वेतन स्लैब:

- 19,900 रुपए मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अब 765 रुपए प्रतिदिन और 96 रुपए प्रति घंटा वेतन मिलेगा।
- इस स्लैब के अंतर्गत, यदि कोई अंशकालिक कर्मचारी पूरे महीने प्रतिदिन 1 घंटा कार्य करता है, तो उसे 2,487 रुपए प्राप्त होंगे।
- 24,100 रुपए मासिक वेतन वाले दूसरे स्लैब के कर्मचारी को 927 रुपए प्रतिदिन और 116 रुपए प्रति घंटा का पारिश्रमिक मिलेगा।
- इस श्रेणी का कर्मचारी पूरे महीने प्रतिदिन 1 घंटा कार्य करके 3,012 रुपए अर्जित करेगा।

संशोधन का उद्देश्य:

- संशोधित संरचना का उद्देश्य हरियाणा कौशल रोज़गार निगम के माध्यम से नियोजित श्रमिकों के लिये मज़दूरी भुगतान को मानकीकृत करना और पारिश्रमिक में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता को बढ़ावा देना है।

हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में परिवर्तन:

- ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के नियमित सरकारी कर्मचारी, यदि उन्हें अधिसूचित सार्वजनिक अवकाश पर कार्य करना पड़े, तो वे अब प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे।
- यह प्रतिपूरक अवकाश कार्य किये गए अवकाश के एक माह के भीतर उपयोग किया जाना चाहिये।

रोजगार अनुबंध का विस्तार:

- आउटसोर्सिंग नीति भाग-2 के तहत नियुक्त श्रमिकों का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
- यह विस्तार विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN)

- ❖ **स्थापना और उद्देश्य:** इसकी स्थापना 13 अक्टूबर 2021 को **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत की गई थी। HKRN हरियाणा में संविदा भर्ती के लिये आधिकारिक पोर्टल है जिसका उद्देश्य भर्ती में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा दक्षता सुनिश्चित करना है।
- ❖ **संचालन निकाय:** हरियाणा कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रबंधित।
- ❖ **कार्य:** विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सांविधिक निकायों तथा विश्वविद्यालयों के लिये ग्रुप B, C और D कर्मचारियों की भर्ती को केंद्रीकृत करना तथा अनियमितताओं पर अंकुश लगाने हेतु पहले की विभाग-विशिष्ट भर्ती व्यवस्था को प्रतिस्थापित करना।
- ❖ **प्रमुख ज़िम्मेदारियाँ:** संविदात्मक तथा डीसी दर कर्मचारियों पर डाटा एकत्र करना, स्टाफिंग अनुरोधों को संभालना, रिक्तियों का विज्ञापन करना, परीक्षण, साक्षात्कार या कौशल मूल्यांकन के माध्यम से भर्ती का प्रबंधन करना तथा उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश करना।
- ❖ **मुख्य उद्देश्य:** वंचित पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को सहायता प्रदान करना, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना तथा राज्य आरक्षण नीति को लागू करना।

गंगा यमुना लिंक (GYL) नहर

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार **गंगा नदी** से पानी प्राप्त करने के लिये **गंगा यमुना लिंक (GYL) नहर** के निर्माण पर विचार कर रही है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **प्रस्तावित नहर का उद्देश्य:**
 - जीवाईएल नहर को **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR)** में पेयजल और सिंचाई की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये डिजाइन किया गया है।
 - हरियाणा सरकार का लक्ष्य, अनुमोदन और समन्वय के अधीन, नवंबर 2031 तक इस परियोजना को पूरा करना है।
 - **सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा हरियाणा के दावे का समर्थन किये जाने के बावजूद पंजाब द्वारा **सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर** का निर्माण पूरा करने से लगातार इंकार करने के कारण राज्य को जल के नए विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं।
- ❖ **उत्तर प्रदेश से प्रारंभिक समर्थन:**
 - प्रारंभिक चर्चाओं के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अनौपचारिक रूप से प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की तथा हरियाणा तक जाने के लिये पाँच संभावित मार्ग सुझाए।
 - प्रस्तावित चैनलों में **खतौली, बदरुद्दीन नगर, मुरादनगर और यमुनानगर में हिंडन बैरियर** के पास के स्थान शामिल हैं।
- ❖ **समानांतर जल अवसंरचना परियोजनाएँ:**
 - जीवाईएल नहर के साथ-साथ, हरियाणा **हथिनी कुंड बैराज** के ऊपर की ओर एक बाँध का निर्माण करके वर्षा जल को एकत्र करने का भी काम कर रहा है।
 - इसके अतिरिक्त, जल सुरक्षा को मज़बूत करने के व्यापक प्रयासों के तहत **केशाऊ बाँध परियोजना** पर कार्य प्रगति पर है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



गंगा नदी

- ❖ यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जो 2,510 किमी तक पहाड़ों, घाटियों और मैदानों में बहती है तथा हिंदुओं द्वारा पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है।
 - गंगा बेसिन भारत, तिब्बत (चीन), नेपाल और बांग्लादेश में 10,86,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।
- ❖ भारत में, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली से होकर बहती है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8,61,452 वर्ग किमी है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 26% है।
 - इसका उद्गम **हिमालय** में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है।
- ❖ अपने उद्गम पर इस नदी को **भागीरथी** कहा जाता है। यह **देवप्रयाग** से नीचे उतरती है, जहाँ एक अन्य धारा अलकनंदा से मिलने के बाद इसे गंगा कहा जाता है।
- ❖ दाहिनी ओर से नदी में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना और सोन हैं।
 - **रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा** नदियाँ बायीं ओर से गंगा नदी में मिलती हैं। चंबल तथा बेतवा दो अन्य महत्वपूर्ण उप-सहायक नदियाँ हैं।
- ❖ गंगा नदी बेसिन दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है तथा इसका क्षेत्रफल 1,000,000 वर्ग किमी है।
 - **गंगा नदी डॉल्फिन** एक लुप्तप्राय जीव है, जो विशेष रूप से गंगा नदी में निवास करता है।
- ❖ गंगा बांग्लादेश में **ब्रह्मपुत्र** से मिलती है और पद्मा या गंगा नाम से आगे बढ़ती है।
- ❖ गंगा नदी बांग्लादेश के सुंदरवन दलदल में **गंगा डेल्टा** के रूप में फैलती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

सतलुज नदी

- ❖ उत्पत्ति और प्रवाह-पथ:
 - सतलुज नदी सिंधु नदी की पाँच सहायक नदियों में सबसे लंबी है, जो **पंजाब** क्षेत्र (जिसका अर्थ है “पाँच नदियों की भूमि”) को उसका नाम देती है।
 - इसका उद्गम दक्षिण-पश्चिमी तिब्बत में **हिमालय** की उत्तरी ढलान पर 15,000 फीट (4,600 मीटर) की ऊँचाई पर स्थित **लांग्ला झील** से होता है।
 - यह नदी उत्तर-पश्चिम की ओर बहती है और फिर गहरी हिमालयी घाटियों से होकर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़कर **हिमाचल प्रदेश** में प्रवेश करती है।
 - यह नदी **नांगल** के निकट **पंजाब** के मैदानों में प्रवेश करती है, दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ती है, **ब्यास नदी** से मिलती है और फिर **पाकिस्तान** में प्रवेश करने से पहले भारत-पाकिस्तान सीमा पर 65 मील (105 किमी) का विस्तार बनाती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ सिंचाई और उपयोग:

- भारत और पाकिस्तान दोनों में सिंचाई के लिये इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।
- प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में **भाखड़ा-नांगल परियोजना, सरहिंद नहर और सतलुज घाटी परियोजना** शामिल हैं।

❖ सिंधु जल संधि और जल बँटवारा:

- सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल-बँटवारे को लेकर तनाव का स्रोत थी, जब तक कि वर्ष 1960 की **सिंधु जल संधि** ने इस मुद्दे को हल नहीं कर दिया।
- भारत ने **सिंधु जल संधि** को तब तक के लिये निलंबित कर दिया है जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता।

यमुना नदी

❖ उत्पत्ति और प्रवाह-पथ:

- उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में से एक **यमुना नदी** उत्तराखंड में यमुनोत्री के निकट महान हिमालय में बंदरपूछ पर्वत से निकलती है।
- यह नदी हिमालय की तराई से होकर दक्षिण की ओर बहती है और **सिंधु-गंगा के मैदान** में प्रवेश करती है तथा उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के बीच सीमा बनाती है।
- यमुना कई ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों- दिल्ली, मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद और इटावा से होकर बहती है।
- **प्रयागराज** में यह गंगा नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, जो एक पवित्र हिंदू संगम है।

❖ धार्मिक महत्त्व:

- यमुना को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है, जो गंगा के बाद दूसरे स्थान पर है।
- प्रयागराज में गंगा के साथ इसका संगम प्रमुख धार्मिक उत्सवों का स्थल है, जिसमें कुंभ मेला भी शामिल है, जिसमें हर 12 वर्ष में लाखों श्रद्धालु आते हैं।

❖ सहायक नदियाँ:

- इटावा के पास इस नदी में **चंबल, सिंध, बेतवा और केन** नदियों सहित महत्वपूर्ण दक्षिणी सहायक नदियाँ मिलती हैं, जो इसके प्रवाह तथा जलग्रहण क्षेत्र को समृद्ध करती हैं।

❖ प्रदूषण एवं संरक्षण प्रयास:

- यमुना नदी मुख्य रूप से अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण गंभीर प्रदूषण से ग्रस्त है।
- 1990 के दशक में, प्रदूषण को कम करने के लिये जापान द्वारा समर्थित **यमुना एक्शन प्लान** शुरू किया गया था। आंशिक रूप से सफल होने के बावजूद, जनसंख्या वृद्धि और खराब अपशिष्ट प्रबंधन के कारण चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

नई अवकाश नीति: महिला कर्मचारियों के लिये कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देना

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार ने अपनी अवकाश नीति में संशोधन किया है, जिसके तहत **हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड (HKRN)** के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियाँ अब प्रति माह दो अतिरिक्त दिन की **आकस्मिक छुट्टी** की पात्र होंगी, जो प्रति वर्ष अधिकतम 22 दिन तक होगी।

यह पहल न केवल **प्रगतिशील शासन** को प्रतिबिंबित करती है बल्कि इसका उद्देश्य अधिकाधिक महिलाओं को **कार्यबल** में सम्मिलित करने तथा उनकी **सक्रिय भागीदारी** को बनाए रखने हेतु प्रोत्साहित करना भी है।

मुख्य बिंदु

महिला कार्यबल भागीदारी पर प्रभाव:

- **बेहतर कार्य-जीवन संतुलन:** अतिरिक्त अवकाश का प्रावधान महिला कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत एवं पेशेवर जीवन के मध्य बेहतर संतुलन स्थापित करने के लिये आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है। यह विशेष रूप से उन सामाजिक संदर्भों में महत्वपूर्ण है जहाँ महिलाओं को पारिवारिक दायित्वों का अपेक्षाकृत अधिक वहन करना पड़ता है।
- **स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा:** यह अतिरिक्त अवकाश महिला कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं, पारिवारिक देखभाल अथवा अन्य व्यक्तिगत कारणों हेतु समय लेने का अवसर प्रदान करता है, जिससे एक स्वस्थ, संतुलित एवं उत्पादक कार्यबल को बढ़ावा मिलेगा।
- यह प्रावधान वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही उन सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है, जो कर्मचारियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती हैं।
- **लिंग समावेशिता को बढ़ावा:** यह नीति कार्यस्थल पर एक समावेशी कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करते हुए **लिंग समानता** को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।

हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड (HKRN)

- हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड (HKRN) की स्थापना 13 अक्टूबर 2021 को **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत की गई थी।
- इसका उद्देश्य हरियाणा राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों एवं एजेंसियों को **संविदात्मक जनशक्ति** की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- निगम पारदर्शी, कुशल तथा न्यायसंगत प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती करने के लिये कार्यरत है।
- यह राज्य सरकार द्वारा **संविदा आधार पर जनशक्ति की तैनाती** हेतु अधिस्वीकृत एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

प्रमुख लक्ष्य

- सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
- तैनात कर्मियों को वेतन एवं अन्य लाभों का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाता है।
- अभ्यर्थियों का चयन करते समय राज्य आरक्षण नीति का सख्ती से अनुपालन किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

आपराधिक न्याय सुधार में मानक स्थापित

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा त्वरित और पीड़ित-केंद्रित न्याय प्रदान करके आपराधिक न्याय सुधार में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। राज्य ने उन्नत तकनीक को अपनाकर, फॉरेंसिक बुनियादी ढाँचे को उन्नत करके और भारत के नए आपराधिक कानूनों के तहत गहन प्रशिक्षण प्रदान करके राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक स्थापित किया है।

मुख्य बिंदु

नये आपराधिक कानूनों के तहत क्षमता निर्माण:

- हरियाणा ने एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत 54,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को निम्नलिखित विस्तृत प्रावधानों से युक्त किया गया:
 - भारतीय न्याय संहिता (BNS)
 - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
 - भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म:

- 37,800 से अधिक पुलिस अधिकारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है।
- यह मंच स्व-गति कानूनी शिक्षा का समर्थन करता है, जिससे हरियाणा का डिजिटल कौशल प्रयास भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा बन गया है।

ई-समन और ई-सक्ष्य के माध्यम से डिजिटल पुलिसिंग:

- हरियाणा ने निम्नलिखित प्लेटफॉर्मों को पूर्णतः क्रियान्वित किया है:
 - ई-समन: 91.37% से अधिक समन अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किये जाते हैं।
 - ई-सक्ष्य: 100% तलाशी और ज़बती का डिजिटल रूप से रिकॉर्ड रखता है।
- लगभग 67.5% गवाहों और शिकायतकर्ताओं के बयान अब ई-सक्ष्य मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज किये जाते हैं, जिससे पारदर्शी तथा मानकीकृत साक्ष्य संग्रह सुनिश्चित होता है।

लिंग-संवेदनशील न्याय तंत्र:

- हरियाणा ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में POCSO अधिनियम, 2012 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित किये हैं।
- ये अदालतें महिलाओं और बच्चों से जुड़े जघन्य अपराधों में शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करती हैं।

गवाह परीक्षण के लिये नए प्रावधान:

- नए आपराधिक कानूनों के तहत, हरियाणा अब गवाहों से पूछताछ के लिये निर्धारित स्थानों पर पूछताछ की अनुमति देता है, जो पारंपरिक अदालती व्यवस्था से आगे का विस्तार है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ उन्नत फोरेंसिक अवसंरचना:

- राज्य ने प्रत्येक जिले में (और बड़े जिलों में दो) मोबाइल फोरेंसिक वैन तैनात की हैं।
- हरियाणा ने उन्नत साइबर फोरेंसिक उपकरणों की खरीद में 68.70 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे जाँच क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

iGOT कर्मयोगी

❖ परिचय:

- भारत द्वारा प्रबंधित, iGOT कर्मयोगी 16 भाषाओं में 2,400 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, सभी पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान और मिशन कर्मयोगी सिद्धांतों पर आधारित स्वदेशी कर्मयोगी योग्यता मॉडल के अनुरूप हैं।
- कर्मयोगी भारत, एक 100% सरकारी स्वामित्व वाली गैर-लाभकारी विशेष प्रयोजन कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित किया गया था।

❖ मिशन कर्मयोगी:

- इसका उद्देश्य भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुरूप एक पेशेवर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित तथा भविष्य के लिये तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है।
- यह मिशन नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण की ओर बदलाव को बढ़ावा देता है तथा योग्यता-संचालित दृष्टिकोण को अपनाता है जो दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान (ASK) के सही मिश्रण पर केंद्रित होता है।
- यह 70-20-10 मॉडल (70% अनुभव से सीखना, 20% साथियों से सीखना और 10% औपचारिक प्रशिक्षण से) का पालन करता है। यह सीखने को करियर के लक्ष्यों से भी जोड़ता है और वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन मूल्यांकन सुनिश्चित करता है।

डंकी रूट और मनी लॉन्ड्रिंग

चर्चा में क्यों ?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध प्रवासियों से जुड़े “डंकी रूट” मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत पंजाब और हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर छापा मारा।

प्रमुख बिंदु

❖ डंकी रूट:

- “डंकी” या “डंकी रूट” दशकों से अस्तित्व में है, जिसे खतरनाक और अवैध प्रवास मार्गों के रूप में जाना जाता है।
- यह उन लंबी, घुमावदार और अक्सर जानलेवा यात्राओं को दर्शाता है जिन्हें लोग उस देश तक पहुँचने के लिये अपनाते हैं जहाँ वे प्रवास करना चाहते हैं, विशेष रूप से तब, जब उनके पास आवश्यक कानूनी अनुमति या वित्तीय संसाधन नहीं होते।

❖ अमेरिका में भारतीयों की अवैध प्रवास में वृद्धि:

- प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले भारतीयों की संख्या वर्ष 2018-2019 में 8,027 से बढ़कर वर्ष 2022-2023 में 7.25 लाख हो गई है।
- भारत, लैटिन अमेरिका के बाहर से अमेरिका में प्रवास भेजने वाला एकमात्र शीर्ष पाँच देश है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- वर्ष 2011 से अमेरिका में गैर-दस्तावेजी भारतीयों की आबादी में 70% की वृद्धि हुई है।
- अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा डेटा से पता चलता है कि सबसे तेज वृद्धि वर्ष 2020 तथा 2023 के बीच हुई।

❖ मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन):

☉ परिचय:

- ❏ मनी लॉन्ड्रिंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसका उपयोग व्यक्ति या संगठन अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोत को छिपाने के लिये करते हैं। इसमें कई लेन-देन के माध्यम से काले धन को वैध दिखाने की कोशिश की जाती है।

❖ मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके:

- ☉ स्ट्रक्चरिंग (स्मर्फिंग): बड़ी राशि को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़कर कम संदेहास्पद मात्रा में बैंक खातों में जमा करना।
- ☉ व्यापार-आधारित लॉन्ड्रिंग: व्यापारिक लेन-देन का उपयोग कर सीमाओं के पार धन का स्थानांतरण करना और अवैध धन के स्रोत को छिपाना।
- ☉ शेल कंपनियाँ: ऐसी कंपनियाँ बनाना जिनका कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं होता, लेकिन जिनके माध्यम से अवैध धन को वैध दिखाने वाले लेन-देन के जरिये प्रवाहित किया जाता है।
- ☉ रियल एस्टेट: अवैध धन से अचल संपत्ति खरीदना और फिर उसे बेचकर उस धन को वैध परिसंपत्तियों में परिवर्तित करना।



❖ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002:

☉ मुख्य प्रावधान:

- ❏ मनी लॉन्ड्रिंग को परिभाषित करता है, जिसमें अपराध से प्राप्त धन को छिपाना, उसका स्वामित्व रखना, अधिग्रहण करना या उपयोग करना और उसे वैध संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना शामिल है।
- ❏ प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जाँच करने, छापामारी और अपराध से अर्जित संपत्ति को ज़ब्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- ❏ वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय खुफिया इकाई - भारत (FIU-IND) को संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट जाँच के लिये अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ विशेष अदालतों की स्थापना करता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके और कानूनी दंड सुनिश्चित किया जा सके।
- ❖ इसकी अनुसूची (Schedule of Offenses) में आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, नशीली दवाओं की तस्करी और आतंकवाद जैसे व्यापक पूर्ववर्ती अपराधों (predicate offenses) को शामिल किया गया है।

● प्रभावशीलता:

- ❖ मजबूत प्रतिरोधक प्रभाव: PMLA कड़ी जाँच, अभियोजन और संपत्ति जब्ती के माध्यम से आर्थिक अपराधों तथा धोखाधड़ी को रोकता है।
- ❖ बेहतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग: भारत Interpol और FATF (Financial Action Task Force) के साथ मिलकर अवैध धन के प्रवाह पर निगरानी रखता है।
- ❖ बेहतर वित्तीय निगरानी: बैंकों और वित्तीय संस्थानों को KYC मानकों को अपनाना अनिवार्य किया गया है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम में कमी आती है।

झंजर में भूकंप

चर्चा में क्यों ?

10 जुलाई, 2025 को हरियाणा के झंजर के निकट केंद्रित 4.4 तीव्रता का **भूकंप** आया, जिससे नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों सहित दिल्ली-एनसीआर में तीव्र झटके महसूस किये गए।

प्रमुख बिंदु

- ❖ **भूकंप के बारे में:** साधारण शब्दों में **भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है।** यह एक प्राकृतिक घटना है, जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं।
- ❖ **भूकंप का कारण:** भूकंप तब आते हैं जब **पृथ्वी की भूपर्पटी में टेक्टोनिक प्लेटों** के कारण जमा हुआ तनाव घर्षण से अधिक हो जाता है, जिसके कारण चट्टानें अचानक टूटकर खिसक जाती हैं और भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है।
- ❖ वह भूमिगत बिंदु है जहाँ भूकंप की ऊर्जा सबसे पहले मुक्त होती है और उपरिकेंद्र (या एपिकेंटर) पृथ्वी की सतह पर ठीक उसके ऊपर स्थित बिंदु है **जहाँ कंपन सबसे अधिक महसूस होता है तथा अक्सर सबसे अधिक क्षति होती है।**
- ❖ **भूकंप तरंगों के प्रकार:** भूकंपीय तरंगें मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं: शारीरिक तरंगें (Body Waves) और सतही तरंगें (Surface Waves)
- ❖ **भूगर्भीय तरंगें** पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरती हैं और इनमें शामिल हैं:
 - **P-तरंगें:** सबसे तेज, ठोस, तरल और गैसों के माध्यम से आगे-पीछे गति के साथ यात्रा करती हैं।
 - **S-तरंगें:** धीमी, केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ऊपर-नीचे गति के साथ चलती हैं।
 - **सतही तरंगें** पृथ्वी की सतह पर चलती हैं और **सबसे विनाशकारी होती हैं, जिससे बड़ी क्षति होती है।**
- ❖ **भूकंपीय छाया क्षेत्र:** छाया क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ **भूकंपीय तरंगों का पता नहीं चलता है।**
- ❖ **P-तरंग छाया क्षेत्र:** भूकंप के केंद्र से **105° और 145° के बीच।**
- ❖ **S-तरंग छाया क्षेत्र:** 105° से परे, क्योंकि S-तरंगें तरल पदार्थों के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ ये क्षेत्र पृथ्वी की स्तरित संरचना को प्रकट करते हैं, जिसमें इसका तरल बाहरी क्रोड भी शामिल है।

❖ भूकंप के प्रकार:

- ❶ विवर्तनिक: सबसे आम, भ्रंशों के साथ प्लेट गति के कारण।
- ❷ ज्वालामुखीय: सक्रिय क्षेत्रों में ज्वालामुखीय गतिविधि से जुड़ा हुआ।
- ❸ पतन: गुफा या खदान की छत के ढहने के कारण।
- ❹ विस्फोट: परमाणु या रासायनिक विस्फोट का परिणाम।
- ❺ जलाशय-प्रेरित: पानी के दबाव के कारण बड़े बाँधों के पास होते हैं।

❖ भूकंप मापन:

- ❶ रिक्टर स्केल: परिमाण (मुक्त ऊर्जा) को मापता है, जो 0 से 10 तक होता है।
- ❷ मर्काली स्केल: तीव्रता (दृश्य क्षति) को मापता है, I से XII तक होता है।

नूह में इंटरनेट और SMS सेवाएँ निलंबित

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक शांति बनाए रखने और गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिये सतर्कता के तौर पर नूह ज़िले में मोबाइल इंटरनेट तथा ब्लक SMS सेवाओं को 24 घंटे के लिये निलंबित किया।

मुख्य बिंदु

❖ आदेश के बारे में:

- ❶ हरियाणा गृह विभाग ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 तथा दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के नियम 3 के तहत निलंबन निर्देश जारी किया।
- ❷ इस आदेश के अंतर्गत मोबाइल इंटरनेट सेवाएँ (2G/3G/4G/5G/CDMA/GPRS), ब्लक SMS सेवाएँ (बैंकिंग और मोबाइल रीचार्ज से संबंधित सेवाओं को छोड़कर) तथा डोंगल-आधारित इंटरनेट सेवाएँ निलंबित कर दी गईं।
- ❸ जनता को होने वाले व्यवधान को न्यूनतम रखने के लिये वॉयस कॉल, ब्रॉडबैंड इंटरनेट तथा कॉर्पोरेट लीज़ लाइन जैसी आवश्यक संचार सेवाएँ चालू रहीं।

❖ दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024:

- ❶ अनिवार्य प्रकाशन: इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने वाले सभी आदेशों को स्पष्ट कारणों, भौगोलिक क्षेत्र और अवधि के साथ प्रकाशित किया जाना चाहिये।
 - ❶ अधिकतम अवधि: निलंबन अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती।
- ❷ सक्षम प्राधिकारी: निलंबन आदेश केवल “सक्षम प्राधिकारी” द्वारा ही जारी किया जा सकता है, जो केंद्र सरकार के लिये केंद्रीय गृह सचिव और राज्यों के लिये राज्य गृह सचिव हैं।
- ❸ समीक्षा तंत्र: किसी आदेश के जारी होने के 5 दिनों के भीतर उसकी वैधता की समीक्षा हेतु समीक्षा समिति की बैठक आवश्यक है।
 - ❶ केंद्रीय समीक्षा समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, जबकि राज्य समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- नोडल अधिकारी: लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं को निलंबन आदेश प्राप्त करने और उन्हें लागू करने के लिये प्रत्येक सेवा क्षेत्र में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा।
- सुरक्षित संचार: केवल पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च स्तर के अधिकारी ही इन आदेशों को लिखित रूप में या सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संप्रेषित कर सकते हैं।

नोट:

- ♦ अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) केस में **सर्वोच्च न्यायालय** ने स्पष्ट किया कि इंटरनेट एक्सेस पर सरकार द्वारा लगाया गया कोई भी प्रतिबंध अस्थायी, सीमित, वैध, आवश्यक तथा आनुपातिक होना चाहिये।

अशीम कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रपति ने प्रोफेसर अशीम कुमार घोष को हरियाणा का नया **राज्यपाल** नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त पुसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल और कवींद्र गुप्ता को लद्दाख का **उपराज्यपाल** भी नियुक्त किया गया।

मुख्य बिंदु

♦ राज्यपाल के संवैधानिक कार्य:

- राज्यपाल राज्य के मुख्य कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है। वह नाममात्र प्राधिकारी के रूप में तथा केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है।
 - ❏ अनुच्छेद 154 के अनुसार, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से किये जाते हैं और अनुच्छेद 166 के तहत, राज्यपाल द्वारा व्यवसाय के लेन-देन के नियम तैयार किये जाते हैं।
 - ❏ इसके अतिरिक्त, राज्यपाल **मुख्यमंत्री** और उनकी सलाह पर **मंत्रिपरिषद्** की नियुक्ति करता है।
- विधायी भूमिका और विधेयकों पर स्वीकृति: राज्य विधानमंडल और संघ के बीच संवैधानिक कड़ी के रूप में, राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत राज्य **विधानसभा** को आहूत करता है, स्थगित करता है और भंग करता है।
 - ❏ किसी विधेयक को कानून बनने के लिये राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, जैसा कि संघ स्तर पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होती है या इसे अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है।
 - ❏ राज्य के वित्तीय शासन में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनुच्छेद 207 के तहत उनकी सिफारिश के बिना विधानसभा में कोई भी **धन विधेयक** प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
- वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की वित्तीय व्यवस्था, संवैधानिक तथा राजकोषीय ज़िम्मेदारियों के अनुरूप हो।

♦ त्रिशंकु विधानसभाओं में विवेकाधीन शक्तियाँ और भूमिका:

- राज्यपाल कुछ स्थितियों में विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे अनुच्छेद 356 के तहत **राष्ट्रपति शासन** की सिफारिश करना या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करना।
- वे उन मामलों पर भी निर्णय लेते हैं जहाँ संविधान उन्हें मंत्रिपरिषद् की सलाह से स्वतंत्र होकर विवेकाधिकार प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- ❖ नियुक्तियों और प्रशासन में भूमिका:
- ❖ राज्यपाल अनुच्छेद 165 और 316 के तहत **महाधिवक्ता** तथा **राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों** सहित प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं।
 - ⦿ वे राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी करते हैं, जो हाल के वर्षों में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है।
 - ⦿ यह कार्य राज्य के सुचारू प्रशासन को सुनिश्चित करता है, परंतु इसे राज्य सरकार के परामर्श से किया जाना चाहिये।
- ❖ राष्ट्रपति शासन लागू करने में भूमिका:
 - ⦿ अनुच्छेद 356 के तहत, यदि राज्यपाल का मानना है कि किसी राज्य में **संवैधानिक तंत्र विफल** हो गया है, तो वे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं।
- ❖ न्यायिक शक्तियाँ
 - ⦿ राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके तहत वे **राज्य के कानूनों के विरुद्ध अपराधों के लिये क्षमादान**, विलंबन, राहत या सज़ा में छूट दे सकते हैं।
 - ❑ हालाँकि, राष्ट्रपति के समान अधिकारों की तुलना में राज्यपाल की यह शक्ति सीमित है, क्योंकि वे **मृत्युदंड** अथवा **कोर्ट मार्शल** से संबंधित मामलों में क्षमादान नहीं दे सकते।
- ❖ अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय कल्याण हेतु विशेष ज़िम्मेदारियाँ:
 - ⦿ असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम जैसे राज्यों में राज्यपाल को **अनुसूचित क्षेत्रों** पर विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं।
 - ❑ इन राज्यों का प्रशासन संविधान की **छठी अनुसूची** के अंतर्गत **स्वायत्त जिलों** के रूप में किया जाता है।
 - ❑ राज्यपाल **स्वदेशी अधिकारों की रक्षा** तथा **कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा** देने के लिये **जनजातीय प्रशासन** में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

हरियाणा के राज्यपाल

हरियाणा के राज्यपाल	कार्यकाल
धर्मवीर	1 नवंबर 1966 - 14 सितंबर 1967
बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती	15 सितंबर 1967 - 26 मार्च 1976
न्यायमूर्ति रणजीत सिंह नरूला	27 मार्च 1976 - 13 अगस्त 1976
जय सुखलाल हाथी	14 अगस्त 1976 - 23 सितंबर 1977
सरदार हरचरण सिंह बराड़	24 सितंबर 1977 - 9 दिसंबर 1979
न्यायमूर्ति सुरजीत सिंह संधावालिया	10 दिसंबर 1979 - 27 फरवरी 1980
गणपतराव देवजी तपासे	28 फरवरी 1980 - 13 जून 1984
सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी	14 जून 1984 - 21 फरवरी 1988

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

हरि आनंद बरारी	22 फरवरी 1988 – 6 फरवरी 1990
धनिक लाल मंडल	7 फरवरी 1990 – 13 जून 1995
महावीर प्रसाद	14 जून 1995 – 18 जून 2000
बाबू परमानंद	19 जून 2000 - 1 जुलाई 2004
ओम प्रकाश वर्मा	2 जुलाई 2004 - 7 जुलाई 2004
डॉ. अखलाक-उर-रहमान कदवई	7 जुलाई, 2004 - 27 जुलाई, 2009
श्री जगन्नाथ पहाड़िया	27 जुलाई, 2009 - 26 जुलाई, 2014
कप्तान सिंह सोलंकी	27 जुलाई, 2014 - 24 अगस्त 2018
सत्यदेव नारायण आर्य	25 अगस्त, 2018 - 07 जुलाई 2021
बंडारू दत्तात्रेय	7 जुलाई 2021 - जुलाई 2025
अशीम कुमार घोष	जुलाई 2025 - वर्तमान

स्वामी कल्याणदेव महाराज की 21वीं पुण्यतिथि

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने **स्वामी कल्याणदेव महाराज जी की 21वीं पुण्यतिथि** पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शुकदेव आश्रम में स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्य बिंदु

❖ स्वामी कल्याणदेव महाराज को श्रद्धांजलि:

- मुख्यमंत्री ने **स्वामी कल्याणदेव जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया और** इसे भावी पीढ़ियों के लिये शाश्वत प्रेरणा का स्रोत बताया।
- मुख्यमंत्री ने शुकदेव तीर्थ पर एक ओडिया पुस्तक का भी विमोचन किया।
- उन्होंने शुकदेव तीर्थ में हरियाणा भवन के निर्माण के लिये 11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की।
- उन्होंने संत के त्याग, सेवा और सुधार के जीवन पर प्रकाश डाला, जो विनम्रता तथा आध्यात्मिक खोज पर आधारित था।
- उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष पूर्व **महर्षि शुकदेव** ने इसी स्थान पर भागवत कथा के माध्यम से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति कराई थी।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

❖ स्वामी कल्याणदेव जी के बारे में:

- ❶ स्वामी कल्याणदेव जी महाराज का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने 129 वर्ष तक का जीवन व्यतीत किया तथा अपने जीवन को ज्ञान, शिक्षा और सामाजिक सेवा के लिये समर्पित कर दिया, जिसे वे अपना सच्चा धर्म मानते थे।
❶ इन्होंने वर्ष 2004 में समाधि ली थी।
- ❶ उन्होंने कई स्कूल, कॉलेज और गुरुकुल स्थापित किये।
- ❶ उन्होंने अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध किया तथा समानता, प्रेम तथा भाईचारे को बढ़ावा दिया।
- ❶ भारत सरकार ने उन्हें उनके अद्वितीय योगदान के लिये पद्मश्री (1982) तथा पद्म भूषण (2000) जैसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रदान किये।
- ❶ स्वामी कल्याण देव सेवा ट्रस्ट:
- ❶ शुक्रदेव आश्रम में स्थापित स्वामी कल्याण देव सेवा ट्रस्ट विभिन्न कल्याणकारी पहलों के माध्यम से सेवा और करुणा की विरासत को आगे बढ़ाता है।
- ❶ यह ट्रस्ट गरीबों, बीमारों और वंचितों की सहायता करता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत है।

हरियाणा में 2,000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर की एक टीम ने हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में मिट्टी के नीचे दबे प्राचीन बौद्ध स्तूपों और संरचनात्मक अवशेषों के संकेत खोजे हैं।

मुख्य बिंदु

शोध निष्कर्षों के बारे में:

❖ प्राचीन संरचनाओं की खोज:

- ❶ उन्नत ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (GPR) तकनीक का उपयोग करके सतह से लगभग 6 से 7 फीट नीचे गोलाकार संरचनाओं, दीवारों और कक्ष जैसे कमरों सहित प्राचीन संरचनाओं के संकेत पाए गए।
- ❶ यह लगभग 2,000 वर्ष पुराने बौद्ध स्थल की संभाव्यता की ओर संकेत करता है।

❖ सर्वेक्षण और स्थान:

- ❶ हरियाणा राज्य पुरातत्त्व विभाग द्वारा प्रारंभ किये गए इस सर्वेक्षण का उद्देश्य टोपरा कलाँ और आस-पास के गाँवों जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक अवशेषों को उजागर करना था, जहाँ कभी-कभी पुरानी ईंटें प्राप्त होती हैं, जो संभावित पुरातात्विक महत्व की ओर संकेत करती हैं।

❖ बौद्ध स्तूप के साक्ष्य:

- ❶ जी.पी.आर. रीडिंग से अब्द -वृत्ताकार संरचनाओं का पता चला, जिससे शोधकर्ताओं ने प्राचीन स्तूप की उपस्थिति की परिकल्पना की।
- ❶ पुरातत्त्व अधिकारियों ने इस परिकल्पना की पुष्टि करते हुए स्तूप की संभावित खोज को भी प्रमाणित किया है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

महत्त्व:

- स्थानीय मौखिक परंपराओं के अनुसार, ये निष्कर्ष बौद्ध युग या महाभारत काल से संबंधित हो सकते हैं।
- ये उपमहाद्वीप में प्राचीन व्यापार मार्गों, धार्मिक नेटवर्कों तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
- यदि आगे की खुदाई में इसी प्रकार की संरचनाएँ प्राप्त होती हैं, तो यह इस प्राचीन संस्कृति के व्यापक प्रभाव को प्रमाणित कर सकती है।

भारत के अन्य प्रमुख बौद्ध स्थल

बिहार:

- बोधगया वह स्थान है, जहाँ सिद्धार्थ गौतम को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
महाबोधि मंदिर, जो वर्ष 2002 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, वह स्थान है, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
- वैशाली में बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा की थी और अंतिम उपदेश दिया था।
- नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध प्राचीन शिक्षा केंद्र था, जहाँ दुनियाभर से बौद्ध विद्वान एकत्र होते थे।

उत्तर प्रदेश:

- सारनाथ में बुद्ध ने अपने प्रथम पाँच शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया था।
- धमेख स्तूप (सारनाथ) वह स्थल है, जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था।
- कुशीनगर वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने महापरिनिर्वाण (अंतिम निर्वाण) प्राप्त किया था।
- रामभर स्तूप (कुशीनगर) को वह स्थान माना जाता है जहाँ बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था।

हिमाचल प्रदेश:

- धर्मशाला, विशेषकर मैक्लॉडगंज, तिब्बती निर्वासित सरकार और दलाई लामा का मुख्यालय है। यह तिब्बती बौद्धों का प्रमुख केंद्र है।

महाराष्ट्र:

- एलोरा गुफाएँ एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें बौद्ध, हिंदू और जैन परंपराओं से संबंधित शिलानिर्मित मंदिर तथा प्रतिमाएँ हैं।
- अजंता गुफाएँ अपनी प्राचीन बौद्ध विहारों और बुद्ध के जीवन पर आधारित भित्ति चित्रों के लिये प्रसिद्ध हैं।

मध्य प्रदेश:

- सांची स्तूप एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जो अपने बौद्ध स्तूपों, विहारों और स्तंभों के लिये जाना जाता है।

साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में भारत परिसर खोला

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर हरियाणा के गुरुग्राम में साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के भारत परिसर का उद्घाटन किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

मुख्य बिंदु

साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के परिसर के बारे में:

❖ भारत के शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि:

- QS शीर्ष 100 वैश्विक संस्थानों में शामिल तथा ब्रिटेन के रसेल समूह का संस्थापक सदस्य साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के (भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के अंतर्गत भारत में परिसर संचालित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है।
- गुरुग्राम में विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के पाँच वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मरणीय उपलब्धि के रूप में मनाया जा रहा है।

❖ NEP 2020 के तहत शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण:

- केंद्रीय मंत्री ने इस कार्यक्रम को भारत-UK सहयोग के शिक्षा स्तंभ को मजबूत करने वाला बताया, जो भारत-UK रोडमैप 2030 के अनुरूप है।

❖ परिसर की पेशकश और कार्यक्रम:

- गुरुग्राम परिसर में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे, जिनके अंतर्गत विद्यार्थियों को UK या मलेशिया स्थित विश्वविद्यालय के परिसरों में एक वर्ष तक अध्ययन करने का अवसर मिलेगा।

नोट:

- भारत भी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है, जैसे कि IIT मद्रास द्वारा जांजीबार में और IIT दिल्ली द्वारा अबू धाबी में परिसर स्थापित किया गया है।

UGC (FHEI) विनियम, 2023 के बारे में:

- UGC (FHEI) विनियम, 2023 ने विश्व के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएँ स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है।
- यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप है, जो भारत में शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों के लिये एक विधायी ढाँचा प्रस्तुत करती है।
- NEP 2020 में उल्लेख किया गया है कि विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित संस्थानों को भारत में संचालन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC):

- UGC भारत का एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1953 में उच्च शिक्षा के समन्वय, निर्धारण और गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी।
- यह आयोग UGC अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था।
- UGC के प्रमुख कार्यों में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, वित्तीय सहायता देना तथा उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देना शामिल है।
- UGC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025UPSC
क्लासरूम
कोर्सIAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप

नोट:

पोषण एप में तकनीकी समस्या से पंजीकरण बाधित

चर्चा में क्यों ?

केंद्र के **पोषण ट्रैकर एप** में तकनीकी समस्याओं के कारण हरियाणा में, विशेषकर रोहतक जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, लाभार्थी पंजीकरण में बाधा आ रही है।

❖ इससे पोषण अभियान योजना के अंतर्गत आहार और पोषण संबंधी लाभ प्रदान करने में अवरोध उत्पन्न हुआ है।

मुख्य बिंदु

❖ पोषण ट्रैकर एप के बारे में:

- यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य **पोषण अभियान** के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।
- 1 जुलाई 2025 से, मंत्रालय ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी लाभार्थियों को चेहरे की पहचान और आधार-आधारित **ई-केवाईसी** के माध्यम से एप पर पंजीकृत किया जाए।
- इसके अतिरिक्त, बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों के आधार विवरण के माध्यम से पंजीकृत किया जाना चाहिये।

❖ पोषण अभियान के बारे में:

- इसे वर्ष 2018 में राजस्थान के झुंझुनू जिले से लॉन्च किया गया था।
- यह **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाना है।

❖ हरियाणा में कार्यान्वयन:

- हरियाणा के सभी जिलों में पोषण अभियान लागू किया जा रहा है।
- प्रथम चरण में नूंह और पानीपत जिलों का चयन किया गया।
- द्वितीय चरण में इसमें गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत, सिरसा और करनाल जैसे 10 जिले शामिल किये गए।
- चरण III में शेष जिलों को इसके अंतर्गत कवर किया गया।

❖ उद्देश्य:

- इस मिशन का लक्ष्य 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों में बौनेपन और कम वजन की समस्या को रोकना तथा कम करना है।
- इसका लक्ष्य बच्चों (6-59 महीने), महिलाओं और किशोरियों (15-49 वर्ष की) में एनीमिया को कम करना है, साथ ही **जन्म के समय कम वजन** वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना है।

❖ मुख्य घटक:

- **ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस** सभी **आँगनवाड़ी केंद्रों** को प्रदान की गई हैं ताकि बच्चों के विकास पर निगरानी रखी जा सके।
- स्मार्टफोन और पावर बैंक आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा **पर्यवेक्षकों** को फील्ड स्तर पर डाटा प्रविष्टि एवं रिपोर्टिंग के लिये वितरित किये गये हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
एप



नोट:

❖ सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन गतिविधियाँ:

- ❖ सामुदायिक आधारित कार्यक्रम (CBEs) हर माह की 8 और 22 तारीख को आँगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित किये जाते हैं, जिनमें अन्नप्राशन दिवस तथा सुपोषण दिवस जैसे विषय शामिल होते हैं।
- ❖ गाँव स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (VHSND) हर माह की 15 तारीख को स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आयोजित किया जाता है, जिसमें टीकाकरण तथा स्वास्थ्य परीक्षण पर जोर दिया जाता है।
- ❖ पोषण पखवाड़ा मार्च में तथा पोषण माह सितंबर में मनाया जाता है, जिनमें जागरूकता अभियानों, रैलियों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से पोषण पर जोर दिया जाता है।

मिशन पोषण 2.0 (हरियाणा) के अंतर्गत राज्य स्तरीय योजनाएँ

- ❖ मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत आँगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को हर सप्ताह 6 दिन 200 मिली फोर्टिफाइड स्किम्ड दूध (विटामिन A और D3 युक्त) प्रदान किया जाता है।
- ❖ मोटे अनाज आधारित व्यंजन पुस्तिका लॉन्च की गई है, जिससे पारंपरिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दिया जा सके; आँगनवाड़ी कार्यकर्ता इसके अंतर्गत पकवान प्रदर्शन आयोजित करती हैं।
- ❖ महिला एवं बाल विकास विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है ताकि खाद्य फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा दिया जा सके और पूरक पोषण कार्यक्रम को मज़बूत किया जा सके।
- ❖ हरियाणा में पोषण जागृति माह और पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसके दौरान 20 लाख से अधिक पोषण जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।
- ❖ इनमें अन्नप्राशन समारोह, वृद्धि निगरानी अभियान, योग सत्र तथा गंभीर रूप से कुपोषित (SAM) बच्चों की पहचान एवं रेफरल शामिल होते हैं।

हरियाणा की पहली जलवायु परिवर्तन अध्ययन प्रयोगशाला

चर्चा में क्यों ?

मुख्यमंत्री द्वारा पंचकूला के थापली प्रकृति एवं इकोटूरिज्म केंद्र में स्थित हरियाणा की पहली जलवायु परिवर्तन अध्ययन प्रयोगशाला (CCLL) का उद्घाटन किया गया।

मुख्य बिंदु

प्रयोगशाला के बारे में:

❖ परियोजना समर्थन:

- ❖ यह परियोजना ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन, लचीलापन और जलवायु वित्त (CAFRI II) परियोजना के तहत जर्मन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (GIZ) द्वारा समर्थित है तथा जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल (IKI) द्वारा भी इसका सहयोग किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- CAFRI II भारत-जर्मन सहयोग के तहत एक पहल है, जिसे जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (BMZ) द्वारा शुरू किया गया है तथा इसे GIZ इंडिया द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF-CC), भारत सरकार तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ मिलकर कार्यान्वित किया गया है।

प्रबंधन:

- CCLL का प्रबंधन हरियाणा के वन विभाग द्वारा किया जाता है।

उद्देश्य:

- इस प्रयोगशाला का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर अनुभवात्मक और विज्ञान-आधारित शिक्षा के लिये एक केंद्र के रूप में कार्य करना है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों तथा समाधानों के बारे में जनता को शिक्षा प्रदान करने में सहायक होगा।

महत्त्व:

- इस प्रयोगशाला का शुभारंभ शिक्षा और वैज्ञानिक अन्वेषण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के हरियाणा के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बहुविवाह और हरियाणा परिवार पहचान-पत्र

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा परिवार पहचान-पत्र (PPP) के नवीनतम आँकड़ों से पता चला है कि राज्य में अनेक व्यक्तियों की दो या दो से अधिक पत्नियाँ हैं।

- यह डाटा इन व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से साझा किया गया है, जिसमें उनकी पत्नियों और बच्चों की संख्या जैसे व्यक्तिगत विवरण शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

PPP डाटा विवरण:

- हरियाणा में 2779 व्यक्ति ऐसे हैं, जिनकी दो या दो से अधिक पत्नियाँ हैं।
- इनमें से 2761 व्यक्तियों की दो पत्नियाँ हैं, जबकि 15 व्यक्तियों की तीन पत्नियाँ हैं तथा 3 व्यक्तियों ने बताया कि उनकी तीन से अधिक पत्नियाँ हैं।

क्षेत्रीय आँकड़े:

- दो पत्नियों वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या नूह ज़िले में पाई गई है, जहाँ 353 व्यक्तियों की दो पत्नियाँ हैं।
- अन्य ज़िलों में अंबाला (87), भिवानी (69) और फरीदाबाद (267) शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



परिवार पहचान-पत्र (PPP) योजना

पृष्ठभूमि:

- PPP योजना को औपचारिक रूप से जुलाई 2019 में हरियाणा सरकार की 'पेपरलेस' एवं 'फेसलेस' सेवा वितरण व्यवस्था की दृष्टि से प्रारंभ किया गया था।
- इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक इकाई माना गया है तथा उसे 8 अंकों की **विशिष्ट पहचान संख्या (Family ID)** दी जाती है।
- यह **फैमिली ID** विभिन्न योजनाओं जैसे छात्रवृत्तियाँ, सब्सिडी और पेंशन आदि से भी जुड़ी होती है ताकि संगतता व विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
- इससे राज्य की विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी एवं पेंशन के स्वचालित लाभार्थी चयन में भी सहायता मिलती है।

उद्देश्य:

- परिवार पहचान-पत्र (PPP) का प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा के सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटा तैयार करना है।

लाभ:

परिवार एक इकाई के रूप में:

- केंद्र सरकार के आधार कार्ड में एक व्यक्ति का विवरण होता है और यह पूरे परिवार को एक इकाई के रूप में नहीं दर्शाता है।
- यद्यपि **राशन कार्ड प्रणाली** मौजूद है, लेकिन यह अद्यतन नहीं है और इसमें पर्याप्त पारिवारिक रिकॉर्ड नहीं हैं।

सुचारु सेवा वितरण:

- हरियाणा सरकार की विभिन्न सेवाएँ एवं योजनाएँ जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, **जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, जाति व आय प्रमाण-पत्र** आदि PPP के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

प्रवासी श्रमिकों के लिये लाभकारी:

- पंजीकरण ID** उन लोगों को प्रदान की जाती है, जो हरियाणा में रहते हैं, लेकिन निवास संबंधी आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर पाए हैं।
- इससे राज्य सरकार को उचित मूल्य की दुकानों से राशन, श्रम योजनाओं का लाभ, स्ट्रीट वेंडर्स सहायता योजनाएँ आदि जैसे लाभ प्रदान करने में सहायता मिलती है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :